

अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 30/6/22 को पेश हो।

30.6.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की तलवी  
हेतु इन्फेक्ड अवसर दिये जाने के बावजूद  
भी प्रतिवादी जण की तलवी नहीं करवायी  
गई है। पत्रावली वर्ष 2018 से तलवी से  
विचाराधीन है। अतः पत्रावली अन्तर्गत  
0-9 R-5 आ० दी० में तलवी अभाव में  
एन्डोर्स रजिस्ट्रार की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर  
टाकिल दफ्तर ही। निर्णय शुल्क न्यायालय  
में सुनाया जाकर भेरे दस्तावेज न्यायालय  
मुद्रा से जाती किया गया।

सहायक क्लर्क  
साँधर लेक

